Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–256 / 2025

श्री गुसांई सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह,
ग्राम– लछनाखाली, पो0 ऑ0– मिरतोला
जिला– अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड, अल्मोड़ा
जिला–अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके कनेक्शन संख्या ए.आर 11325410183 के सापेक्ष उनका विद्युत बिल, सितबंर 2023 से अगस्त 2025 तक, रू0 114437 का निर्गत हुआ है जो कि मार्च 2025 में रू0 99864 का निर्गत हुआ था, जो कि बहुत अधिक है। उन्होने बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 973 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.09.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी के मीटर की रीडिंग सही थी जिसके अनुसार अगस्त 2025 में निर्गत रू0 110112 के बिल का भुगतान, वादी द्वारा दिनांक 04.09. 2025 को कर दिया गया है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 06.10.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.10.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी को सही मीटर रीडिंग का बिल, रू0 110112 उपलब्ध करा दिया गया था जिसे वादी ने दिनांक 04.09.2025 को जमा कर दिया है और वादी को अब कोई शिकायत नहीं है।

परिवाद संख्या–256 / 2025

आदेश

विभाग द्वारा मीटर चेंकिग में वादी के मीटर की रीडिंग सही पायी गयी जिसके अनुसार अगस्त 2025 तक रू0 110112 का बिल निर्गत किया गया था जिसे वादी द्वारा दिनांक 04.09.2025 को जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 06.10.2025

06/10/25

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य